

दिनांक

आदेश

24/12/2020

अभिलेख उपस्थापित। आवेदक सिटी पुरती, पिता/पति - स्व० बड़ा चाड़ी पुरती, ग्राम- जांगीबुरु, थाना- मंझारी, जिला- पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा- जांगीबुरु, थाना नं०- 226, खाता न०- 104, प्लॉट न०- 2149, रकवा- 0.50 एकड़ भूमि क्रेता पासिंग पुरती, पिता/पति - मोती राम पुरती, ग्राम- जांगीबुरु, थाना- मंझारी, के पास में विक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)परन्तु (ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की विक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया।

अंचल अधिकारी, मंझारी से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित भूमि आवेदक के पिता के नाम हालसर्वे खतियान में दर्ज है। आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्ण दखल है।

अंचल अधिकारी, मंझारी का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक 438, दिनांक 17.12.2020 के द्वारा प्राप्त है। खेत के हल बैल खरीदने एवं मकान मरम्मत हेतु रुपये की आवश्यकता होने के कारण भू-खण्ड को क्रेता पासिंग पुरती, पिता/पति- मोती राम पुरती, ग्राम- जांगीबुरु, थाना- मंझारी, के पास 1,10,500.00/- (एक लाख दस हजार पाँच सौ रुपये) मात्र। में विक्री करना चाहते हैं। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही थाना के निवासी हैं। उक्त दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। आम सूचना का तामिला प्राप्त है। किसी प्रकार का कोई आपति प्राप्त नहीं हुआ है।

उपरोक्त प्लॉट की विक्री के पश्चात् भी 2.37 एकड़ भूमि बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू संपत्ति समुचित है।

अतः अंचल अधिकारी, मंझारी एवं ग्रामीण मुण्डा के अनुशंसा के आलोक में विक्रेता सिटी पुरती, पिता/पति- स्व० बड़ा चाड़ी पुरती, ग्राम- जांगीबुरु, थाना- मंझारी, जिला-पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा- जांगीबुरु, थाना नं०- 226, खाता न०- 104, प्लॉट न०- 2149, रकवा- 0.50 एकड़, भूमि को क्रेता पासिंग पुरती, पिता/पति- मोती राम पुरती, ग्राम- जांगीबुरु, थाना- मंझारी, जिला- पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा के पास छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)परन्तु (ए) के अन्तर्गत विक्री द्वारा हस्तांतरण करने की अनुमति दी जाती है।

लेखापित



भूमि सुधार उपसमाहर्ता
सदर चाईबासा।



भूमि सुधार उपसमाहर्ता
सदर चाईबासा।